न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

अपील सं0—16/2015
प्रविष्टि दिनांक—7.12.2015

गिर्राज पुत्र मंगला जाति गुर्जर निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

1. सुन्दर पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक
2. ग्राम पंचायत **मण्डावर**, जरिये सरपंच ग्राम पंचयत **मण्डावर** तहसील व जिला टोंक

— प्रतिपक्षीगण

उपस्थित—श्री सीताराम विजय—अभिभाषक अपीलार्थी
श्री पर्यूष जैन—अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 3512 ग्राम मण्डावर, द्वारा ग्राम पंचायत मण्डावर दिनांक 5.10.2015

निर्णय

दिनांक— 13/11/17

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 5.10.2015 को सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावर ने भंवरलाल पुत्र मंगला जाति गुर्जर निवासी मण्डावर की फोती का नामान्तरकरण उसकी पत्नी रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक मे भंवरलाल की छोडी हुई आराजी भूमि खाता सं0 532 ग्राम मण्डावर मे अंकित भूमि ख.न. 385 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 398 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 735/2 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख. न. 1223/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख.न.0 3575/567 रकबा 7 बिस्वा कुल किता—5, कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खाता सं0 533 मे अंकित भूमि ख.न. ख.न. 566 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 567 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, ख.न. 567/3530 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 1757/3 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 4, कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के कोरम के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ था इसके बावजूद भी सरपंच द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे वाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील सं0 30/2015 उनवानी गिर्राज बनाम सुन्दर जेरेकार है। उक्त न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। इस प्रकार स्थगन आदेश के बावजूद भी दाखिल खारिज स्वीकार किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट को यह मालूम था कि उसके पति भंवरलाल ने अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 10.12.2009 को एक वसीयतनामा तहरीर कर पंजीबृद्ध करवाकर उक्त आरजी का अपीलार्थी को मालिक व स्वामी बना दियाथा। भंवरलाल के समय से ही उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने योग्य है। अतः नामा0 सं0 3512 वाके ग्राम मण्डावर निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टसे की ओर से बावजूद तामील के कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे मा0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक की आदेशिका , नामान्तरकरण सं0 3512, वसीयतनामा आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

अधिकारी
टोंक

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने अपील एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे वाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील सं0 30/2015 उनवानी गिर्राज बनाम सुन्दर जेरेकार है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 22.11.2016 से स्पष्ट है कि उक्त अपील तथा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण निर्णित किया जा चुका है जिसकी प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है साथ ही अपीलार्थी अपने आप को वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का मालिक बताता है इस तथ्य के परीक्षण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामे का अवलोकन किया , वसीयतनामे मे अंकितानसार "मैरे व मेरी पत्नी सुन्दरबाई की मृत्यु के उपरान्त गिर्राज मालिक व स्वामी होगा" अर्थात अपीलार्थी, भंवरलाल व उसकी सुन्दरबाई के मृत्यु के उपरान्त उक्त विवादित भूमि का स्वामी होगा। चूंकि वर्तमान मे भंवरलाल की पत्नी सुन्दर बाई जीवित है और वसीयत नामे के अनुसार दोनो की मृत्यु के उपरान्त ही अपीलार्थी का हक निहित है। इसलिए उक्त वसीयत सुन्दर बाई की मृत्यु के उपरान्त लागू होगी। चूंकि वर्तमान मे भंवरलाल की मृत्यु के उपरान्त एक मात्र उसकी पत्नी सुन्दर बाई ही वारिस है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वसीयतनामे के अलोक मे ही भंवरलाल की पत्नी सुन्दर बाई के हक मे नामान्तरकरण भरा गया है जो किसी भी प्रकार से अवैध प्रतीत नही होता है क्योकि भंवरलाल व उसकी पत्नी दोनो की मृत्यु से पूर्व अपीलार्थी की कोई भूमिका नही है। अपीलार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध मे जो वाद प्रस्तुत किये गये है वे भी आधारहीन है। चूंकि सुन्दर बाई के जीवित रहते वसीयतनामा अस्तित्व मे नही आया है और उसी के आधार पर अपीलार्थी का भी उक्त भूमि मे हक निहित नही है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण अवैध प्रतीत नही होता है। अपील स्वीकार करने योग्य नही है।

आदेश

अतः अपील, अपीलार्थी बाबत विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 3512 दिनांक 5.10.2015 ग्राम **मण्डावर** ग्राम पंचायत **मण्डावर**, तहसील टोंक विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 13/11/17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner